ादेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 39/13–14

उपेन्द्र विश्वकर्मा वनाम् कुँवर विश्वकर्मा एवं अन्य

आदेश

23.09.13

आवेदक उपेन्द्र विश्वकर्मा पिता कुँवर विश्वकर्मा साकिन अरवल सिपाह थाना वो जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि का बॅटवारा करने का अनुरोध किया है। साथ ही वादी के अधिकार का प्रख्यापन एवं बॅटवारा पश्चात आवेदक के भूमि का सीमांकन कराने का भी अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम अरवल सिपाह थाना वो जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा
90	596 597	6 कट्ठा

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) उभय पक्ष एक ही पूर्वज के वंशज है। विपक्षी संख्या 01 वादी के पिता है तथा विपक्षी संख्या 02,03 एवं 04 वादी के सहोदर भाई है।

(2) विवादित जमीन आवेदक की मौरूसी भूमि है जिसका विभाजन अभी तक चारों भाइयों के बीच नही हुआ है।

(3) दिनांक 26.02.13 को प्रतिवादीगण उपर्युक्त भूमि पर आये और आकर बाजबदस्ती भवन का निर्माण कार्य करने का कुत्सित प्रयास करने लगे। वादी द्वारा विरोध करने पर प्रतिवादीगण मारपीट पर उतारू हो गये।

(4) प्रतिवादीगण एक ओर बिना बॅटवारा के ही वाद में सन्निहित भूमि पर बाजबरदस्ती मकान बनाना चाहते है,वही दूसरी ओर वादी बिना बॅटवारा के मकान बनाने देना नही चाहते है जिस कारण बॅटवारा को लेकर शांति भंग होने की आशंका ब्याप्त है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मॉगे गये अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) वादी का कहना कि विवादित भूमि का बॅटवारा नही हुआ है,मिथ्या एवं असत्य है। वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच आपसी बॅटवारा 12 वर्षो पहले दिनांक 02.12.01 को ही हो गया था। उक्त बॅटवारा पर वादी का भी हस्ताक्षर है।

(2) वादी का कहना है कि विवादित भूमि मौरूसी भूमि है जबकि अपने आवेदन के साथ मौरूसी भूमि की संपुष्टि के लिए कोई कागजात दाखिल नही किया है जो कागजात दाखिल है वह बॅटवारा दिनांक 02.12.2001 का कागजात है।

(3) प्रतिवादी संख्या 01 कुँवर विश्वकर्मा,प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष संख्या 2,3,4 के पिता है जिसकी आयु लगभग 90 वर्ष है जो स्वयं की कमाई से सम्पति बनाये एवं अपने भाई को भी 26.06.78 में उसमें से हिस्सा दिये। इनके पास किसी भी प्रकार का कोई मौरूसी संपति नही है।

(4) उभय पक्षों के बीच न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी अरवल में धारा 145 द०प्र०सं० जिसका वाद संख्या 1096/11 था लाया गया जिसमें पुलिस जॉच

प्रतिवेदन की मॉग की गई। इन प्रतिवेदनों में बॅटवारा एवं प्रश्नगत् जमीन प्रतिवादी के कब्जा में होने की बात की पुष्टि की गई जिसके आलोक में दिनांक 27.08.12 को उपरोक्त वाद में प्रतिवादीगण के पक्ष में आदेश पारित हुआ। बॅटवारा वादी को खाता 90 प्लॉट नं० 597 में एक कट्टा एक धूर ($43\frac{1}{2}$फीट ×$32\frac{1}{2}$फीट), प्रतिवादी संख्या 02 शिवपूजन विश्वकर्मा को बॅटवारा $53\frac{1}{2}$फीट × $51\frac{1}{2}$फीट भूमि हिस्सा मे मिला है जो उनके दखल कब्जा में है,जिसपर वे अपना मकान का निर्माण कर रहे है,प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने मतरफ के लिए उक्त खाता प्लॉट की कुल एराजी में 14 फीट × 26 फीट (5 धूर) भूमि मिला है,प्रतिवादी संख्या 3 को 43 फीट × $43\frac{1}{2}$ फीट (27.5 धूर) मिला,प्रतिवादी संख्या 4 को 24 धूर मिला। प्रतिवादी संख्या 3 एवं 4 बॅटवारा के बाद मकान बनाकर रह रहे है।

(5) धारा 4 बिहार भूमि विवाद निवारण अधिनियम 2009 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जहॉ हक,स्वत्व का प्रश्न बनता है तो वाद को स्थगित कर वादी को सक्षम न्यायालय में जाने का आदेश दिया जाता है। इस नियम के तहत यह वाद तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाना चाहिए।

(6) वादी ने व्यवहार न्यायालय जहानाबाद में प्रतिवादीगण (1,3,4) के विरूद्व बॅटवारा वाद 64/2008 लाया है जो सबजज–01 के न्यायालय में लंबित है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारिज होने योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक ने विवादित जमीन खाता 90 प्लॉट 596 एवं 597 रकवा 6 कट्टा जो मौजा अरवल सिपाह,थाना वो जिला अरवल में अवस्थित है,का बॅटवारा हेतु यह वाद लाया है। आवेदक का कहना है कि उक्त जमीन उनकी मौरूसी संपति है,परन्तु उसके प्रमाणस्वरूप उनके द्वारा कोई दस्तावेज नही जमा किया गया है। विपक्षीगण का कहना है कि विवादित जमीन का बॅटवारा काफी पूर्व 02.12.01 का ही हो गया था और बॅटवारानुसार वे लोग अपने–अपने हिस्से पर मकान बनाकर रह रहे है। उपरोक्त बॅटवारा पर उभय पक्षों का हस्ताक्षर भी है। धारा 145 द०प्र०सं० वाद संख्या 1096/11 उपेन्द्र विश्वकर्मा वनाम् कुँवर
52/12
विश्वकर्मा वगैरह में संलग्न आयुक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि उभय पक्षों के बीच बॅटवारा हो चुका है और विपक्षीगण उक्त हिस्से से प्राप्त भूमि में मकान का निर्माण कर रहे है या मकान निर्माण कर निवास कर रहे है। सबजज प्रथम,जहानाबाद व्यवहार न्यायालय में एक बॅटवारा वाद संख्या 64/2008 लंबित है जिसमें उभय पक्ष पक्षकार है और अन्य भूमि के अलावा विवादित भूमि भी सन्निहित है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में स्पष्ट है कि उभय पक्षों के बीच विवादित भूमि का पूर्व में ही बॅटवारा हो चुका है,पुनः बॅटवारा की आवश्यकता नही है। वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।